भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकितप्रश्न सं. 1863
दिनांक 11.03.2025 को उत्तरार्थ

स्थानीयस्वशासी संस्थाओं का गठन

†1863. श्री मोहम्मद हनीफ़ाः

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन कार्य का ब्यौरा क्या है और इसके पूरा होने की समय-सीमा क्या है;

(ख) क्या संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में केन्द्र सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा प्रस्तावित/की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्यमंत्री
(प्रो0 एस0 पी0 सिंह बघेल)

(क) संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख ने सूचित किया है कि पंचायतों के परिसीमन का अधिकार जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 की धारा 36 (डी) (सीसी) के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के राज्य चुनाव आयोग के पास है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अंतिम परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर 2017 में किया गया था और तब से संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में परिसीमन कार्य नहीं किया गया है क्योंकि कोई नया जनगणना डेटा प्रकाशित नहीं हुआ था।

(ख)जीनहीं, महोदय ।

(ग)प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ)भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायत, 'स्थानीय सरकार" होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को, संविधान के प्रावधानों के अधीन, राज्यों के पंचायती राज

अधिनियमों, जो राज्य दर राज्य भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243ङ (1) में हर पांच साल में पंचायतों के लिए चुनाव कराने का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 243ङ (3) में कहा गया है कि पंचायत के गठन के लिए चुनाव पांच साल की अवधि समाप्त होने से पहले या उसके विघटन/समाप्ति की तारीख से छह महीने की अवधि समाप्त होने से पहले पूरे किए जाने चाहिए। इसलिए, किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पंचायत चुनाव का समय पर कराया जाना एक संवैधानिक आवश्यकता है। तदनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पंचायतों के चुनाव कराते हैं। संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख से प्राप्त सूचना के अनुसार, अंतिमपंचयात चुनाव दिसंबर 2018 में हुए थे।इसके अलावा, यह मंत्रालय भी, समय-समय पर, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पंचायत चुनाव समय पर कराने के लिए परामर्शिकाएं जारी करता रहता है। इसी प्रकार की एक हालिया परामर्शिका 18.12.2024 को संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख को भेजी गई है।

****